न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला-पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0
राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 33/2021
GCMS NO. : 2021/75

-:: प्रार्थी ::-	बनाम	-:: अप्रार्थीगण ::-
1. राजस्थान सरकार जरिये भूमि अधिकारी तहसीलदार जैतारण जिला पाली।		1. शोकतअली पुत्र जमाल खां 2. पिस्ता पत्नी गफूर खां 3. नत्थु खां पुत्र गफूर खां 4. संजय पुत्र गफूर खां 5. शाहबुदीन पुत्र गफूर खां 6. कान खां पुत्र सुल्तान खां जाति लुहार निवासी गरनीया तहसील जैतारण जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं आदेश 39 नियम 01 व 02 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

तारीख रजूः 29/07/2021

उपस्थितः. 1. सरकारी पैरोकार स्वयं।
2. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

-:: निर्णय : **दिनॉकः 08/03/2022**

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं आदेश 39 नियम 01 व 02 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत् इस आशय का पेश किया कि भूमि हाल खसरा नम्बर 137 रकबा 8-08 बीघा किस्म बारानी अव्वल मौजा गरनीया में स्थित है। उक्त आराजी का प्रार्थी भूमि धारक (लैण्ड होल्डर) है, अनावेदकगण आराजी जैर बहस के खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थी संख्या 1 से 6 उपर वर्णित जमीन को कृषि के रुप में काम में न लेकर उक्त जमीन को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए किस्म परिवर्तित कर अवैध रूप से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ (होटल) बनाकर जमीन को खुर्द बुर्द कर रहे है, जिसका अप्रार्थीगण को कोई हक नहीं है। अप्रार्थीगण ने राजस्थान काश्तकारी कानून के प्रावधानों व टीनेन्सी की शर्तों को भंग किया एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म को परिवर्तन की है, जिससे राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। अप्रार्थीगण द्वारा टिनेन्सी की शर्तों को भंग करने व राजस्थान सरकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य करने के कारण अब अप्रार्थीगण प्रार्थना-पत्र में उक्त वर्णित जमीन से बेदखल किया जाना व अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है। अप्रार्थीगण ऐसा करने में सफल हो जावेंगे तो प्रार्थी (राजस्थान सरकार) को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:50:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

पूर्ति किया जाना असम्भव है। प्रार्थी का यह प्रथम दृष्टया मामला है। प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का सन्तुलन भली भांति साबित है। अतः प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि तादौरान दावा अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे मौजा गरनीया की भूमि खसरा नम्बर 137 रकबा 8–08 बीघा किस्म बारानी अव्वल को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाएं किसी प्रकार से अकृषि वाणिज्यिक (होटल) के रूप में उपयोग में ना लेवें, ना ही किसी अन्य को विक्रय कर खुर्द बुर्द करें व ना ही रहन करें, मौके पर यथास्थिति बनाये रखें।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायल को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायलान ने वकालतनामा प्रस्तुत किया, जो सा.मि. है। गैरसायलान ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो सा.मि. है। गैरसायलान ने अपने जवाब प्रा.पत्र में कथन किया कि प्रार्थना–पत्र में वर्णित भूमि में अप्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। जवाब देहन्दा वर्तमान में वादग्रस्त भूमि को काश्त के रूप में उपयोग ले रहे है किसी भी वाणिज्य प्रयोजनार्थ अर्थात् होटल के रूप में काम नहीं ले रहे है। वादग्रस्त आराजी के पास में ही कुछ जमीन आई हुई जिसे जवाब देहान्दा संख्या 3 नत्थूखां चाय की होटल के रूप में उपयोग ले रहा है। जिसके सम्बन्ध में श्रम उपायुक्त पाली ने दिनांक 08/04/2019 को जवाब देहान्दा 3 को नोटिस दिया एवं उस नोटिस का जवाब जवाब देहान्दा संख्या 3 ने दिया जिस पर दिनांक 18/04/2019 को श्रम उपायुक्त पाली ने इस 1800 वर्गफिट के भू–भाग के लिए बतौर वेलफेयर के 15300/– रूपये जमा करवाने का आदेश पारित किया, जवाब देहान्दा संख्या 3 ने उक्त राशि राजस्थान सरकार के खाते में जमा भी करवा दी। इस प्रकार गैरसायलान ने किसी भी तरह की टीनेन्सी एक्ट की शर्तो को भंग नहीं किया है। जिस पर जवाब देहान्दा संख्या 3 होटल का व्यवसाय कर रहा है वह खसरा संख्या 137 का हिस्सा नहीं है। इन तथ्यों के अलावा अन्य तथ्य झूठे होने से जवाब देहान्दा अस्वीकार करते है। जवाब देहान्दा ने इस वर्ष भी खरीफ की फसल के रूप में तिल व मोंठ की फसल बोई थी। जिसकी राज्य सरकार से गिरदावरी भी हो रखी है। इस तथ्यों के अलावा अन्य तथ्य बेबुनियाद है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 5 का जवाब है कि वादग्रस्त खसरा नम्बर में कोई गैरकानूनी या अकृषि कार्य नहीं हो रहा था तथा सायल द्वारा जवाब देहान्दा को इस संबंध में कोई नोटिस नहीं दिया गया था न ही कोई फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की गई थी। जवाब प्रा.पत्र में वर्णित तथ्यों, परिस्थितियों एव दस्तावेजात से प्रथम दृष्टिया मामला सायल की बजाय गैरसायलान के पक्ष में प्रमाणित है। अतः जवाब प्रा.पत्र के आधार पर प्रार्थना–पत्र को खारिज फरमावें।

बहस उभयपक्ष राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं आदेश 39 नियम 01 व 02 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:50:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः–** पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये भूमि अधिकारी तहसीलदार जैतारण द्वारा वादग्रस्त आराजी ग्राम गरनिया खसरा संख्या 137 रकबा 8–08 बीघा के संबंध में वाद अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर दौराने विचारण अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की है। प्रार्थी ने यह कथन किया है कि अप्रार्थीगण द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए किस्म परिवर्तन कर अवैध रूप से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ (होटल) बनाकर काश्तकारी कानून के प्रावधानों व टीनेन्सी की शर्तों को भंग करने व राजस्थान सरकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य किया है। पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी रिपोर्ट एवं मौका फर्द के अवलोकन से भी प्रार्थी के उक्त कथन पुष्ट होते है। साथ ही पटवारी गरनिया की मौका फर्द में अप्रार्थी संख्या 3 नत्थू खां के हस्ताक्षर भी अंकित है। अतः पटवारी मौका फर्द पर अप्रार्थी संख्या 3 के हस्ताक्षर से स्पष्ट होता है कि उक्त मौका फर्द प्रतिवादी नत्थू खां की उपस्थिति में तैयार की गई जिसमें प्रतिवादी द्वारा खसरा संख्या 137 पर अकृषि कार्य किये जाने का उल्लेख है। अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया कि वर्णित आराजी के पास ही कुछ जमीन इस खसरा नम्बर के अलावा आई हुई है जिस पर अप्रार्थी संख्या 3 नत्थू खां चाय की होटल के रूप में उपयोग में ले रहा है। अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब प्रार्थना–पत्र व बहस में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि यदि यह निर्माण खसरा संख्या 137 में नहीं है तो किस खसरा संख्या में उपर वर्णित चाय की होटल बनी हुई है? अतः अप्रार्थीगण के कथनों से यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थीगण द्वारा अस्पष्ट एवं मिथ्या कथन कर न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से अपना जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी प्रश्नगत आराजी के संबंध में प्रथम दृष्टया मामला अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया सफल रहे है। अतः यह बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।
2. **सुविधा का संतुलनः–** चुंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित हुआ है। साथ ही टीनेन्सी की शर्तों को भंग कर अप्रार्थीगण द्वारा प्रश्नगत आराजी में बिना किसी विधिक प्रक्रिया के अवैध रूप से गैर कृषिक कार्य में उपयोग लेने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में वर्णित राजस्थान सरकार के खिलाफ अहितकर कार्य किया है। जिससे निश्चित ही राजस्थान सरकार को असुविधा कारित हुई है। साथ ही अप्रार्थी द्वारा केवल यह कथन मात्र किये है कि गैर–कृषिक कार्य (होटल) प्रश्नगत खसरे में स्थित नहीं है तथा उनके द्वारा उक्त के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है। अतः अप्रार्थीगण के कथन अस्पष्ट एवं न्यायालय को गुमराह करने योग्य प्रतीत होते है। अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।
3. **अपूरणीय क्षतिः–** चुंकि प्रथम दोनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित हुए है। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में यह स्वीकार किया है कि अप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:50:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

संख्या 3 नत्थू खां द्वारा ग्राम गरनिया में एक होटल का संचालन किया जा रहा है जो 1800 वर्गफिट क्षेत्रफल में स्थित है। परन्तु यह होटल किस खसरे में स्थित है इस तथ्य को किसी भी रूप में स्पष्ट नहीं किया है अतः अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष संपूर्ण तथ्यों का प्रकट नहीं किया है। जबकि पटवारी की मौका फर्द रिपोर्ट जिसमें ग्राम गरनिया के खसरा संख्या 137 को वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जाना अंकित है जिस पर अप्रार्थी संख्या 3 नत्थू खां के हस्ताक्षर का अंकन होना भी स्पष्ट है, साथ ही यदि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया तो यह प्रबल आशंका है कि वह प्रश्नगत कृषि भूमि पर और अधिक हानिप्रद कार्य कर सकता है, जिससे वादग्रस्त कृषि भूमि की उत्पादकता नष्ट होनें के साथ-साथ राजकोष को भी हानी हो सकती है।

इस प्रकार पूर्व विवेचन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण के कृषि भूमि का अवैध रूप से गैर कृषिक उपयोग में लेने से अहितकारी कार्य व टीनेन्सी की शर्तें भंग होना प्रतीत होता है जिससे निश्चित ही प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी तहसीलदार, जैतारण का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं आदेश 39 नियम 01 व 02 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. भली भांति साबित होने से स्वीकार किया जाना उचित एवं विधि संगत रहेगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी/गैरसायल को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी राजस्व मौजा गरनिया भू-अभिलेख निरीक्षक बैडकलां तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 137 रकबा 8-08 बीघा किस्म बारानी अव्वल के वर्तमान भू-अभिलेख व वर्तमान मौका स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फारेस्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

सहायक कलक्टर
फारेस्ट ट्रेक,
जैतारण जिला-पाली(राज.)

निर्णय आज दिनॉक 08/03/2022 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:50:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
फारेस्ट ट्रेक,
जैतारण जिला-पाली(राज.)